


23/12/25

गार्डो व उनके वकील उपस्थित। मूल  
वाद का नितारण हो चुका है। मूल  
वाद का नितारण होने से प्रार्थना  
पत्र प्रलम्ब से चलाये जाने का कोई  
प्रोचियल नहीं होने से मूल वाद के  
लाथ-लाथ उक्त स्थान प्रार्थना पत्र  
को भी इसी स्तर पर खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर  
फाविले डफ्तर हो रकम नम्बर से  
कम हो।

  
सहायक कमिश्नर  
(SDO) चौहदन



Lawyer

